	36. प्रभा देवी	नहीं
	37. जी० आर० कार	नहीं
	38. एम० सी० कोचर	नहीं
	39. नरेश चन्द	हां
	40. गीता सिंह	हां
1992-93		
	1. जी० संध्या	नहीं
	2. जसवीर सिंह	नहीं
	3. सगुनास्वामीनाथन	नहीं
	4. हरकमलजीत सिंह	नहीं
	5. अंजली इस्सर	नहीं
	6. मंजू मलिक	नहीं
	7. सीता वर्मा	नहीं
	8. कै० ए० सी० शर्मा	नहीं
	9. कै० राकेश राणा	नहीं
	10. एस० एस० चिर्क	नहीं
	11 जगमोहन सपरा	नहीं
	12. जी० गोपालन	नहीं
	13. मोहम्मद गुलाम कादिर	नहीं
	14. आशा बघेजा	नहीं
	15 पी० आर० मालेकर	नहीं
	16. रीतु सरकाला	नहीं
	17. मोहिन्दर लाल	नहीं
	18. संतोष कुमारी	नहीं
	19. सुदीप सिंह	नहीं
	20. गोदा देवी	नहीं
	21. रजनी भगत	नहीं
	22. प्रियाव्रत बीर	नहीं
	23. जीना टिक्को	नहीं
	24. एम० एस० सेकिन	नहीं
	25. बिमल त्यागी	नहीं
	26. उषा सिंह	नहीं
	27. अनिता गौरी	नहीं
	28. मेजर के० जी० चटर्जी	नहीं
	29. आचार्य गणपत राय	नहीं
	30. पूनल तलवार	नहीं
	31. अनिल कुमार तलवार	नहीं
	32. लक्ष्मण कुमार	नहीं
	33. सत्यन वती	नहीं
	34. ब्रिगेडियर ए० एस० नरूला	नहीं
	35. त्रिपत कौर	नहीं
	36. मंजीत धालिवाल	नहीं
	37. साइनी आर० रैबेरो	नहीं
	38. सुगुंटना वैंकटरमण	नहीं
	39. कैलाश पती	नहीं
	40. अली शेर	नहीं

EWS Housing Scheme

1688. SHRI JAGMOHAN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about Rs. 50 crores allocated during the Seventh Five Year Plan for EWS Housing schemes for the urban poor/slum-dwellers remained unspent due to non-issue of sanction by the authorities concerned: and

(b) if so, what are the reasons for non-issue of sanction and consequent non-utilisation of funds for the urban poor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P K. THUNGON) : (a) and (b) Housing being a State subject, funds are allocated to the State Govts, in their annual plan proposals. Based on the allocation. State Govts, are free to formulate and implement housing schemes for various categories as per their plan priorities. Central Government is not aware of the reasons for non-utilisation of funds by the State Govts., if any.

जनजातीय क्षेत्रों में शहरी विकास के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां

1689. **श्री सुशील अरोंगप्या :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शहरी विकास के लिए कतिपय निधियां उपलब्ध कराने का विचार रखती है :

(ख) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गयी निधियों के बारे में शहर-वार या नगर-वार सूचना है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शहरी विकास राज्य का विषय है और जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी शहरों और कस्बों के विकास के लिए परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा चलाई जाती हैं । तथापि, भारत सरकार द्वारा देश में सभी क्षेत्रों में लागू कतिपय केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों को प्रारम्भ करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद दी जाती है । अकेले जनजातीय क्षेत्रों